

पटना में दिनांक-26 मई, 2017 शुक्रवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 1. | बिहार में भारत सरकार की प्रतिपूर्ति आधारित 'आतंकवाद/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा, भारतीय संघ में सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट (Mines/IED Blast) से पीड़ित सिविल व्यक्तियों को मुआवजा भुगतान हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार प्रावधान लागू करने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

विधि विभाग

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 2. | राज्य के 34 न्यायमंडलों में गठित 68 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए पुनर्नियोजित 68 पीठासीन पदाधिकारियों (जिला न्यायाधीश संवर्ग के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों) तथा उनके सहायतार्थ पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए दिनांक-01.02.2017 से 31.07.2017 तक के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु कुल- 7,04,37,000/- (सात करोड़ चार लाख सैंतीस हजार) रूपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

वित्त विभाग

- |    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| 3. | स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- |    |  |    |          |
|----|--|----|----------|
| 4. | श्री उमाशंकर राम, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1132/08, 899/11, तत्कालीन निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

सहकारिता विभाग

- |    |  |    |          |
|----|--|----|----------|
| 5. | सभी प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों की प्रबंधकारिणी कमिटी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं अति पिछड़े वर्गों के लिए क्रमशः दो-दो पदों में आरक्षण को अपवर्जित करने की स्वीकृति के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

### ग्रामीण कार्य विभाग

6. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु लगभग 4000 कि०मी० की लम्बाई में ग्रामीण पथों का निर्माण कराने हेतु New Development Bank (BRICS) से ₹2310 करोड़ (US\$ 350 million) वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा retroactive financing के तहत NDB(BRICS) के साथ किए जाने वाले एकरारनामा के पूर्व निविदा प्रक्रिया पूरी कर पथों का निर्माण करने लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

6. स्वीकृत।